२८ ६/१८ पत्रावली कैश कोर्ट कोरकाशैम में पेश हुई। पत्रावली आवेदक व उपखण्ड प्रभारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोरकाशैम को आदेशित किया जाता है कि सिवाहिब कारागी की मैसर्स डिक्रीकर्ता 13.5.2018 के अनुसार पत्रावली गठित करते जावे। अग्रिम जारी हो। पत्रावली पेंडिंग रजिस्टर होकर नियमानुसार काम हो तथा बाद तामील नियमानुसार हो।